

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी : रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या :- 07/2023

मंगलचन्द पुत्र मालाराम,जाति जाट निवासी राणासर, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू (राज0)।

—अपीलान्ट

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मलसीसर ,तहसील मलसीसर,जिला झुंझुनू (राज0)।

—रेस्पोंडेंट

अपील विरुद्ध निर्णय 13.01.2023 न्यायालय तहसीलदार
मलसीसर मुकदमा उनवानी सरकार बनाम मंगलचन्द
अं० धारा 91 एल० आर० एक्ट मुकदमा नंबर 05/2021

उपस्थिति:—

1. श्री विनोद कुमार गिल, एडवोकेट — —————अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता — राज० सरकार की ओर से ।

—निर्णय—

दिनांक : 28/6/24

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि — “हल्का पटवारी ने राजनैतिक द्वेषता की वजह से अतिक्रमण की रिपोर्ट की है। अपीलार्थी के आवासीय मकान का पानी निकालने के लिये सोखता गड्ढा बनाने के लिए सीमेन्ट के बिलिये मंगवाये थे जिनको भूमि के अन्दर डालना था,परन्तु हल्का पटवारी ने जानबूझकर अतिक्रमी की रिपोर्ट अपीलार्थी के विरुद्ध की है। पक्का निर्माण कार्य करने के लिये यदि कोई व्यक्ति सामग्री पत्थर आदि भूमि पर डालता है तो वह अतिक्रमण की तारीफ में नहीं आता है। अपीलार्थी अपने अपने पट्टाशुदा भूमि पर पक्के मकानात बनाकर आबाद है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी जाहिर किया है कि वे उक्त बिलियों को उठाकर अलग जगह पर डाल लेंगे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उठाने भी नहीं दिया और उक्त बिलियों को कुर्क कर निलामी करने का आदेश जारी कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय की अतिक्रमण की कार्यवाही, कुर्की की कार्यवाही व निलामी की कार्यवाही प्रथम दृष्ट्या ही गलत की है, जहां कोई व्यक्ति चल सम्पत्ति हटाने के लिए तैयार है,वहां कुर्की व निलामी करना अवैध है तथा कुर्की व निलामी से पहले जिस व्यक्ति की सम्पत्ति है,उसको हटाने का अवसर दिया जाता है। अपीलांट

001

जहां रिहायश करता है, वो आबादी भूमि है। आबादी भूमि में तहसीलदार को नोटिस देने का क्षेत्राधिकार नहीं है। यदि कोई अतिक्रमण होता है तो ग्राम पंचायत को क्षेत्राधिकार है। इसलिये तहसीलदार द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध एवं गलत है। अपीलांट का प्रकरण अतिक्रमण की तारीफ में नहीं आता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर का निर्णय दिनांक 13.1.2023 निरस्त किया जावे व पारित कुर्की व निलामी निरस्त की जावे या पत्रावली रिमाण्ड की जाकर अचल सम्पत्ति बिलियों को हटाने का समुचित अवसर देकर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का आदेश फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि— अधीनस्थ न्यायालय की अतिक्रमण की कार्यवाही, कुर्की की कार्यवाही व निलामी की कार्यवाही प्रथम दृष्ट्या ही गलत की है, जहां कोई व्यक्ति चल सम्पत्ति हटाने के लिए तैयार है, वहां कुर्की व निलामी करना अवैध है तथा कुर्की व निलामी से पहले जिस व्यक्ति की सम्पत्ति है, उसको हटाने का अवसर दिया जाता है। अपीलांट जहां रिहायश करता है, वो आबादी भूमि है। आबादी भूमि में तहसीलदार को नोटिस देने का क्षेत्राधिकार नहीं है। यदि कोई अतिक्रमण होता है तो ग्राम पंचायत को क्षेत्राधिकार है। इसलिये तहसीलदार द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध एवं गलत है। अपीलांट का प्रकरण अतिक्रमण की तारीफ में नहीं आता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर का निर्णय दिनांक 13.1.2023 निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट द्वारा ग्राम राणासर की भूमि खसरा नंबर 12 किस्म गैर मु0 जोहड़, रकबा 5.97 हैक्टर में से 12 वर्गमीटर भूमि पर सीमेन्ट के बिलीया डालकर अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है तथा सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर निर्णय दिनांक 13.1.2023 पारित किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।


मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर की पत्रावली के अवलोकन से हल्का पटवारी व गिरदावर हल्का की रिपोर्ट दिनांक 17.8.2021 के अनुसार अपीलांट द्वारा खसरा



नंबर 12 किस्म गै0 मु0 जोहड़ की 12 वर्गमीटर भूमि पर सीमेन्ट के बिलीया डालकर अतिक्रमण करना बताया गया है। जबकि अपीलांत द्वारा उक्त अतिक्रमण के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिखित जवाब पेश किया गया है कि वह अपने 1000 वर्गगज पंजीकृत पट्टाशुदा भूखण्ड पर पक्के मकान बनाकर आबाद है। अपीलांत ने सोखते गढे के लिए सीमेन्ट के बिलीया डलवाये थे। विद्वान अधिवक्ता अपीलांत का यह भी कथन है कि उक्त सीमेन्ट के बिलीये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं उठाने दिये गये और कुर्की कार्यवाही की जाकर निलाम कर दिये गये तथा विवादित भूमि आबादी भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायाचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.01.2023 उनवानी सरकार बनाम मंगलचन्द मु0नं0 05/2021 धारा 91 एल.आर.एक्ट एवं इस आदेश की पालना में की गई बिलिया कुर्की की कार्यवाही व निलामी की कार्यवाही को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मलसीसर को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे विवादित स्थल का मौका निरीक्षण कर विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये पुनः प्रकरण दर्ज कर अपीलांत को अतिक्रमित स्थान से बिलिया/अतिक्रमण हटाने हेतु समयावधि तय करते हुये पुनः नोटिस जारी कर उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करते हुये निर्णय पारित करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.6.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 (रामरतन सौकरिया)
 अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
 झुंझुनू